पत्रांक–भवन/स्था0–02– पेंशन –01/2016 (अंश–1)........2113 (7)/

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

मनीष कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (विद्युत सहित),
सभी अधीक्षण अभियंता (विद्युत सहित),
सभी कार्यपालक अभियंता (विद्युत सहित),
भवन निर्माण विभाग।

पटना, दिनांक– 6/3/2020

विषयः– पेंशन/सेवान्त लाभ/नई पेंशन प्रणाली से संबंधित ससमय भुगतान सुनिश्चित करने के विषय में।

महाशय,

उपरोक्त विषय में सरकार एवं विभाग द्वारा समय–समय पर आदेश निर्गत हुए हैं। हाल में आदेश प्राप्त हुआ है कि मृत सरकारी कर्मचारियों के मामले में भुगतान 90 दिनों की अवधि में करना है। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा मासिक बैठकों में कड़े निदेश दिये गये हैं जिसका अनुपालन विभाग के सभी कार्यालयों में किया जाना हैः–

1. पेंशन प्रपत्र को सेवानिवृत्ति के छः माह पहले प्राप्त कर कार्रवाई शुरू करना।
2. मृत कर्मचारियों के मामले में (विभागीय पहल/सहयोग से) शीघ्रता से पेंशन प्रपत्र आदि भरवाकर अग्रतर कार्रवाई करना।
3. किसी प्रकार के अनावश्यक विलम्ब को दूर करना आदि।

सरकार एवं माननीय न्यायालयों द्वारा पेंशनादि के भुगतान में विलम्ब की स्थिति में उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई एवं आर्थिक दंड का प्रावधान है जिनसे बचने के लिए ससमय भुगतान करना श्रेयस्कर है।

अतः आप सभी कार्यालय प्रमुखों को निदेश दिया जाता है कि निरंतर अनुश्रवण करते हुए लम्बित मामलों को अविलंब निष्पादित किया जाय तथा नये सेवानिवृत्ति के मामलों में सेवानिवृत्ति के आखिरी दिन ही भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन,

6.3.2020

(मनीष कुमार)
सरकार के विशेष सचिव
–सह–नोडल पदाधिकारी।